न्यायालय् सिविल जज (जू0/डि0), अतर्रा बांदा

मूलवाद संख्या–44/2008

हिम्मत प्रसाद बनाम रामसुहावन

दिनांक–25.05.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रार्थनापत्र 76क2 व आपत्ति 79ग2 को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र संख्या 76क2

प्रार्थना पत्र 76क2 मय शपथपत्र 77ग2 प्राथी/वादी हिम्मत प्रसाद द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद दायरा के समय टाइप की गलती से जहां नजरी नक्शे व वादपत्र में विवादित भूमि की लम्बाई चौडाई 15 गुणा 8 अंकित है, वहां पर 15 के स्थान पर 8 टाइप हो गया है, वादपत्र व नक्शानजरी में 8 फुट के स्थान पर 15 फुट लिखे जाने का संशोधन चाहा गया है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 79ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अमीन आख्या दिनांकित 24.07.2008 पर वादी की कोई आपत्ति न्यायालय हाजा में नहीं है। संशोधन करने से वाद की प्रकृति बदलेगी। वादी अब 12 साल बाद 8 फीट के बजाय 15 फीट दर्ज संशोधन से कराने का उल्लेख टाइप गलती के आधार पर किये जाने का प्रार्थनापत्र वादी कानूनन खारिज किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थनापत्र में प्रस्तावित संशोधन तथ्यात्मक प्रकृति का प्रतीत होता है, वादी द्वारा दाखिल उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मात्र वाद के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वादपत्र में संशोधन चाहा गया है। वादी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र के देरी से प्रस्तुत किये जाने पर इसकी पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। प्रार्थी द्व ारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। अतः प्रार्थिया का संशोधन प्रार्थनापत्र 76क2 हर्ज पर स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का संशोधन प्रार्थना पत्र 76क2 हर्जा 500/– रूपये पर स्वीकृत किया जाता है, तदनुसार आपत्ति 79ग2 निस्तारित की जाती है। प्रार्थी वादपत्र 4क1 में वांछित संशोधन अन्दर पन्द्रह दिवस करें। बाद संशोधन पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.08.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा

बांदा ।